

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 01 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक एवं पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/नि.शक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नन्दे पासवान, स्व० रूपी पासवान, अनु० जाति	श्रीमती कमला देवी (पत्नी)	366/07.08. 2018	ग्रा०+पो०-नीमी, था०+प्र०-शेखपुरसराय, शेखपुरा	3312013 1040310	बिहार ग्रामीण बैंक शेखपुरसराय, UCBAORRBBKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, एक टोकरी बुनकर (शिल्पकार) का कार्य
2	स्व० कृष्णकांत पाण्डेय, श्री कुशेश्वर पाण्डेय, सामान्य	श्रीमती ममता देवी (पत्नी)	367/07.08. 2018	ग्रा०-सुगिया, पो०-चरूआवा, था०+प्र०-शेखपुरसराय, शेखपुरा	3312011 0078816	बिहार ग्रामीण बैंक शेखपुरसराय, UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, एक टोकरी बुनकर (शिल्पकार) का कार्य
3	स्व० अवधेश यादव, श्री रामचन्द्र यादव, अ० पि० वर्ग	श्रीमती अनिता देवी (पत्नी)	368/07.08. 2018	मो०-कमासी, वार्ड नं०-09, पो०+था०+प्र०+जि०-शेखपुरा	3301010 0002816	बिहार ग्रामीण बैंक शेखपुरा UCBAORRBBKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
4	स्व० अमिरक पासवान, 54, स्व० ज्ञान प्रकाश, अनु० जाति	श्रीमती ललिता देवी (पत्नी)	373/16.08. 2018	मो०-गिरिहिण्डा, वार्ड नं०-24, पो०+था०+प्र०+जि०-शेखपुरा	3539278 5220	SBI, KIOSK, BANKING SHEIKHPURA, SBIN0003002	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम

कुल :- ₹ 190000/-

(एक लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-48/2018 के पृष्ठ-07/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-48/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित

करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को देंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-48/2018-428

पटना, दिनांक :- 13-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 190000/- (एक लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को उनके ज्ञापानक 366, 367, 368 दिनांक 074.08.2018 एवं 373 दिनांक 16.8.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।